प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में अध्ययनरत पारा मेडिकल छात्र–छात्राओं की समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु दिनांक–22.09.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक की उपस्थिति :– सूची संलग्न

राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में अध्ययनरत पारा मेडिकल छात्र–छात्राओं की समस्याओं पर विचार विमर्श के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा सर्वप्रथम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित की गई की छात्र–छात्राओं को हड़ताल पर जाने की आवश्यकता ही न हो। इसके लिए प्रत्येक संस्थान में grievance redressal cell गठित होना चाहिए। जहाँ छात्र–छात्राएँ अपनी समस्याएँ रख सकें। सभी संस्थानों के प्रधान इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे तथा एक पखवारे में Cell गठन की सूचना विभाग को दें।

(अनुपालन– सभी संबंधित संस्थानों के प्रधान)

2– **एकेडमिक कैलेण्डर जारी किया जाना–** परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार द्वारा अवगत कराया गया कि पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु एकेडमिक कैलेण्डर की तैयारी अंतिम चरण में है जिसे 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर जारी कर दिया जायेगा।

(अनुपालन– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार)

3– **नर्सिंग छात्रों के तर्ज पर पारिश्रमिक प्रदान किया जाना** – प्राचार्य एवं अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को इस हेतु अन्य निकटवर्ती राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इस दिशा में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

(अनुपालन– प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना)

4– **छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना** – समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संस्थानों में आवश्यकतानुसार छात्रावास का अभाव है। उपस्थित संस्थानों के प्राचार्य/अधीक्षकों/निदेशक से वाह्य स्त्रोत से अथवा अन्य उपलब्ध भवन/छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना तलाशते हुए प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक, सभी संबंधित संस्थान, बिहार)

5– **पढ़ाई की समुचित व्यवस्था** – उपस्थित सभी प्राचार्य/अधीक्षक/ निदेशक को यह निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने संस्थानों में इन छात्र–छात्राओं के फैकल्टी द्वारा अध्यापन की वर्त्तमान व्यवस्था की अपने स्तर से समीक्षा कर लें एवं यह सुनिश्चित करें कि छात्र–छात्राओं की कक्षाएँ व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चले।

(अनुपालन– प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक, सभी संबंधित संस्थान, बिहार)

6– **पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना** – राज्य में वर्त्तमान में लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एक मात्र संस्थान है जहाँ पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। प्रधान सचिव द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की संभावना तलाशने का निदेश सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षकों को दिया गया। विभाग के स्तर से भी

क्रमशः

CARE समर्थित SRU से Technical Support प्राप्त कर एक माह में feasibility report बनाने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार)

7– **पारा मेडिकल कॉउन्सिल का गठन** – परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा पारा मेडिकल कॉउन्सिल के गठन हेतु आवश्यक अधिनियम एवं नियमावली तैयार किया जा रहा है, जिसमें राज्य कौंसिल के गठन की भी व्यवस्था प्रतिपादित होगी। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया कि अगर अन्य राज्यों में पारा मेडिकल कॉउन्सिल गठित हो तो उसके अनुरूप राज्य में भी पारा मेडिकल कॉउन्सिल गठन हेतु आवश्यक प्रस्ताव विस्तृत प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार एवं प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना)

8– **डिग्री पाठ्यक्रम के नाम में परिवर्तन** – डिग्री छात्रों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पाठ्यक्रमों के नामों के अन्त में टेक्नोलॉजी शब्द अंकित है (यथा–Bachelor of Medical Laboratory Technology आदि) जिस कारण राज्य से बाहर उन्हें अभियंत्रण विधा के छात्र के रूप में इंगित किया जाता है। तदनुसार उनके द्वारा पाठ्यक्रम के नाम को परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया।

समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि डिग्री पाठ्यक्रमों का वर्त्तमान नामाकरण तत्यसमय निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अनुरोध एवं अनुशंसा के आलोक में किया गया था।

छात्रों की माँग के आलोक में प्रधान सचिव द्वारा प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना एवं परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को इस मामले की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि विभाग द्वारा आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार एवं प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना)

9– **चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना**– पारा मेडिकल/पारा डेन्टल के विभिन्न विधाओं में व्यवस्थित रूप से डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना एक उपयुक्त विकल्प पाया गया। इस हेतु प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना एवं परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को राज्य में पारामेडिक्सों की आवश्यकता, संस्थानों की आवश्यकता, संस्थानों हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों को चिह्नित करने एवं उनके नामांकन क्षमता के बिन्दुओं पर अध्ययनोपरान्त शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार एवं प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

11/10/2018

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–39/2018–1145(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/10/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/18

संयुक्त सचिव